a programme of research on student problems to evolve ways and means of Improving student discipline.

A Committee en Student Unrest has also just been con stituted by the Central Advisory Board < f Education to study the problem in cepth and to suggest remedial measure,.

A. R.. C. RECOMMENDATIONS ON SCIENTIFIC DEPARTMENTS

*41. SHRI R. P. KHAITAN : Will the PRIME MIMSTER be pleased to state the nature of the main recommendations made by the Administrative Reforms Commis lion on Scientific Departments and th | action, if any, taken by Government en those recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRV OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : A summary of recommendations contained in the report of the Administrative R forms Commission on Scientific Depar ments is laid on the Table of the H >use. [See Appendix LXXIII, Annexu e No. 3]. The recommendations are inder examination.

प्राकृतिक प्रकोपों से सम्बन्धित केन्द्रीय संस्था

*42. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री राजनारायण :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री पीताम्बर दास :
डा० भाई महावीर :
श्री रतन लाल जैन :
श्री मानसिंह वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्राकृतिक प्रकोपों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

CENTRAL BODY FOR NATURAL CALAMITIES

♦42. SHRI J. P. YADAV :
SHRI RAINARAIN :
SHRI N. K. SHEJWALKAR :
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI PITAMBER DAS :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI RATTAN LAL JAIN :
SHRI MAN SINGH VARMA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there" is any proposal under Government's consideration to set up a Central body to deal with the problems arising out of natural calamities; and

(b) if so, what are the details thereof?]

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) राहत तथा पुनर्वास का कार्यकारी उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्यों का है । केन्द्रीय सरकार का कार्य सलाह देना तथा ऐसी राहत सेवाओं तथा आपूर्तियों को संगठित करना है, जिनका प्रबन्ध केवल भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है । इसके लिए गृह, खाद्य तथा कृषि, वित्त सिंचाई तथा बिजली, रेल, समाज कल्याण, परिवहन, संचार मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग से विशेषज्ञों को लेकर एक समिति गठन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक भी इस समिति के सदस्य होंगे ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय ने भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वेधशालाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विपत्ति प्रशमन समिति का गठन किया है । यह समिति इस बात की जांच करेगी कि तूफानों से उत्पन्न

2—41 R. S./70

†[ ] English translation.